परियोजना प्रतिवेदन

वैशाली जिला के घोसवर में हाजीपुर – सुगौली नई रेलवे लाइन निर्माण के लिए सामाजिक प्रभाव का आकलन अध्ययन

जिला मजिस्ट्रेट, वैशाली, बिहार सरकार
को प्रस्तुत

चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना

कार्यकारी सारांश

परिचय

सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) अध्ययन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सरकार के अन्य विकास हस्तक्षेप के स्थानीय समुदाय पर पड़नेवाले प्रभाव का विभिन्न प्रकार से समीक्षा करने के लिए एक रास्ता प्रदान करता है। यह शोध (अध्ययन) कार्य बिहार में हाजीपुर और सुगौली के बीच एक नया रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन के बारे में है। वैशाली जिले में हाजीपुर ब्लॉक के तहत घोसवर गांव में 38 भूखंडों में फैले हुये भूमि के कुल 4.345 एकड़ अधिग्रहण किया जाना है। परियोजना से सीधे प्रभावित होनेवाले आबादी की सामाजिक-आर्थिक प्रभाव आकलन करने के अलावा इस अध्ययन में परियोजना प्रभावित आबादी की परियोजना के बारे में धारणा पर टिप्पणी भी ली गई है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन का उद्देश्य स्थानीय आबादी पर इस परियोजना के प्रभाव का आकलन करना है। इस शोध अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है: -

- भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से सीधे प्रभावित होनेवाले आबादी पर परियोजना के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का आकलन करने के लिए।
- भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से सीधे प्रभावित नहीं होनेवाले आबादी पर परियोजना के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का आकलन करने के लिए।
- परियोजना से उत्पन्न शिकायतों के समाधान के लिए परियोजना विकास एजेंसी के द्वारा किये जानेवाले कार्रवाई के बारे में अंतर्दृष्टि (इनसाइट) विकसित करने के लिए।
- अन्य किसी भी मुद्दों की पहचान करने और उन्हें सुलझाने के अपेक्षित उपाय प्रदान करने के लिये विचार करना।
- भूमि अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव कम करने के लिए योजना (SIMP) का प्रस्ताव करने के लिए।

अनुसंधान क्रियाविधि

सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन में दोनों, गुणात्मक (क्वालिटेटिव) और मात्रात्मक (क्वांटिटेटिव), आकलन शामिल थे। भूमि अधिग्रहण के प्रभाव की पहचान करने के लिए CIMP टीम ने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा को एकत्र किया और विश्लेषण किया, परियोजना साइट का दौरा, चर्चा, और क्षेत्र में इंटरव्यू भी किया। माध्यमिक डेटा वैशाली के जिला प्रशासन के साथ विचार विमर्श, पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) के अधिकारियों और परियोजना प्रभावित आबादी के माध्यम से एकत्र किया गया था । अन्य डेटा स्रोत और इंटरनेट से संबंधित जानकारी भी इस्तेमाल किया गया। प्राथमिक डेटा मुख्य रूप से क्षेत्रीय दौरे और भूमि अधिग्रहण के दौरान भूमि खोने वाले सदस्यों के साथ बातचीत-साक्षात्कार के माध्यम से एकत्र किया गया था।

उत्तरदाता प्रोफ़ाइल और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन के लिए 76 व्यक्तियों की प्रतिक्रियाओं को एकत्र किया गया। इसमें दोनों, सीधे और परोक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति, शामिल थे। उनमे से अधिकांश परियोजना प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं। हालांकि, कुछ अस्थायी माइग्रेशन (प्रवास) भी हैं। सभी उत्तरदाता ओ0बी0सी0 और सामान्य श्रेणियों से संबंधित हैं। सर्विस, खेती, श्रम और व्यवसाय आय का मुख्य स्रोत हैं। लगभग 70% परिवारों के लिए, वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है। उन तक पीने के उचित पानी और स्वच्छता की सुविधा की पहुंच है। लगभग 77% उत्तरदाता जिन घरों में रहते हैं उन्हें पक्के और मिश्रित प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसा की रिपोर्ट प्राप्त हुआ, भूमि अधिग्रहण के कारण उत्तरदाताओं में से कोई भी भूमिहीन नहीं होगा। आम तौर पर, परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की धारणा परियोजना के बारे में नकारात्मक नहीं है। हालांकि, उन्हें लगता है की परियोजना शुरू हो गया तो खेती, व्यापार और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वे बटाईदारो और कृषि मजदूरों के लिए कोई आर्थिक नुकसान नहीं देखते हैं। दूसरी ओर, उत्तरदाता मानते है की परियोजना से व्यावसायिक गतिविधियों, संचार, यात्रा समय और दूरी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग, बेहतर क्रेडिट सुविधाएं और भूमि की कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव होगा। कुल मिलाकर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का विचार इस रेलवे लाइन के बारे में सकारात्मक है।

जन- सुनवाई

आर0एफ0सी0टी0एल0आर0आर0 अधिनियम, 2013, के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 04.04.2018 को घोसवर गांव में जन-सुनवाई आयोजित की गई। सभी संबंधित अधिकारियों और इस परियोजना से प्रभावित लोगों को सुनवाई की तारीख, समय और स्थान के बारे में जानकारी दी गई थी। बैठक के दौरान, उपस्थित लोगों को इस सुनवाई के उद्देश्य के बारे में विस्तारित किया गया था। इस परियोजना से उत्पन्न होने वाली सामाजिक लागत और लाभ मुख्य आकर्षण था। परियोजना समन्वयक ने सभा के सामने सभी मुद्दों और प्रस्तावित सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना को पढ़ा। लोगों को और मुद्दे को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जो मसौदा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया है। सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना के लिए आमंत्रित सुझाव किया गया। सभा द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे यह थे :-

- लोगों ने बताया कि अधिग्रहण की जा रही जमीन के टुकड़ों को वर्तमान में निवास के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए, वे मांग करते हैं कि भूखंडों को, मुआवजे की राशि का निर्णय लेने के लिए, 'आवासीय भूमि' के रूप में माना जाना चाहिए।
- प्रत्येक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को रेलवे में नौकरी दी जानी चाहिए।
- कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें 2008 में रेलवे द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण का पूर्ण मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे लंबित मुद्दों को नए अधिग्रहण से पहले हल किया जाना चाहिए।
- आसान पारगमन के लिए रेलवे क्रॉसिंग नंबर -49 पर फुट-ओवर-ब्रिज (एफ0ओ0बी0) अथवा अंडरपास की सर्वसम्मत मांग है।
- रेलवे क्रॉसिंग नंबर 49 और 50 को जोड़ने वाली सड़क को पक्का रोड बना दिया जाना चाहिए।

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (SIMP)

यह सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना वैशाली जिले के हाजीपुर ब्लॉक के घोसवर गांव के लोगों के लिए प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव को संबोधित करने के लिए तैयार किया गया है। सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (SIMP), नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करने के लिए, या उन्हें स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए परियोजना के दौरान उठाए जाने वाला एक उपाय हैं। सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न प्रतिकूल प्रभाव कम हो और सकारात्मक प्रभाव अधिक हो। विभिन प्रकार के होनेवाले प्रभाव का पहचान किया गया और उसके निष्पादन (कम करने) के लिये सुझाये गए उपाय निचे दिए गए हैं :-

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना

क्रम सं0	प्रभाव का प्रकार	प्रस्तावित शमन उपाय
1.	भूमि का अधिग्रहण	4.345 एकड़ जमीन के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होनेवाले 76 परिवार का सर्वेक्षण किया गया। परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण करने के परिणामस्वरूप मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्रमुख मुद्दा है। उनकी चिंता है कि भूमि के लिए मुआवजा वर्तमान दरों पर होना चाहिए। लोक सुनवाई के दौरान लोगों ने सूचित किया कि अधिग्रहण के तहत लगभग सभी भूमि भूखंड वर्तमान में निवास उद्देश्य के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने सर्वसम्मति से मांग की कि मुआवजे की राशि तय करने के लिए भूखंडों को 'आवासीय भूमि' माना जाए। अनुसंधान दल सुझाव देता है कि भूमि मालिकों को मुआवजा वर्तमान RFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार दिया जाना चाहिए। हालांकि, घोसर क्षेत्र में भूमि के उपयोग और मूल्यांकन में हाल के परिवर्तनों के मद्देनज़र अनुसंधान दल सुझाव देता है कि उचित सरकार को भूखंडों के मौजूदा वर्गीकरण को मुआवजे के उद्देश्य के लिए 'आवासीय' स्तर तक अपनाने पर विचार करना चाहिए।
2.	वृक्ष की हानि	कुछ उत्तरदाताओं ने सूचित किया है कि वे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान पेड़ खो देंगे। ऐसे दावों के लोगों की सूची अनुबंध-III में दी गई है। यह सुझाव दिया गया है कि, उचित सत्यापन के बाद, मुआवजा की भुगतान RFCTLARR अधिनियम, 2013 के धारा 29(2) के अनुसार किया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया है कि उपयुक्त प्राधिकार को इस पर्यावरण नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिए नए पेड़ के वृक्षारोपण के लिए कदम उठाना चाहिए।

क्रम सं0	प्रभाव का प्रकार	प्रस्तावित शमन उपाय
3.	आवासीय संरचनाओं का नुकसान	कुछ लोग इस परियोजना के कारण अपनी आवासीय संरचना खोने का दावा करते हैं। इस तरह के व्यक्तियों का नाम रिपोर्ट के अनुबंध-I में दिखाई देता है। यह सुझाव दिया जाता है कि RFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 29 (1) के अनुसार संलग्न संपत्ति का बाजार मूल्य उचित मुआवजे के लिए निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा, वैकल्पिक घर बनाने के लिए बैंक द्वारा क्रेडिट सहायता को सुधारात्मक उपाय के रूप में अपनाया जा सकता है।
4.	वाणिज्यिक संरचनाओं का नुकसान	कुछ व्यक्ति इस अधिग्रहण के कारण अपने वाणिज्यिक संरचना को खोने का दावा करते हैं । इस तरह के व्यक्तियों के नाम रिपोर्ट के अनुबंध-II में दिखाया गया है। RFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 29 (1) के अनुसार, सत्यापन के बाद दावा किए संपत्ति का मूल्य उचित मुआवजे के लिए निर्धारित किया जा सकता है। एक सुधारात्मक उपाय के रूप में, सक्षम प्राधिकारी इस तरह के लोगों के लिए अपने व्यवसाय को पुनर्गठित करने के लिए क्रेडिट सहायता की व्यवस्था पर विचार कर सकते हैं।
5.	पंप / कुओं का नुकसान	कुछ लोग पंप और कुओं के मामले में अचल संपत्ति खोने का दावा करते हैं । ऐसे उत्तरदाताओं का नाम रिपोर्ट के अनुबंध-IV में में दिखाया गया है। RFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 29 (1) के अनुसार संलग्न अचल संपत्ति का उचित मूल्य मुआवजे के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।
6	परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के साथ संवाद	शोध अध्ययन के दौरान, यह पाया गया कि जनता में भूमि अधिग्रहण की सीमा के बारे में भ्रम है। सीमांकन के लिए कोई स्तंभ नहीं है। यह सुझाव दिया जाता है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित निकाय और कार्यालय स्थानीय लोगों को उचित रूप से सूचित करने के लिए उपयुक्त उपाय कर सकते हैं।
7.	भारतीय रेलवे के साथ समस्याएं एवं मांग	सार्वजनिक सुनवाई के दौरान, अधियाची (ईस्ट सेंट्रल रेलवे) से संबंधित कुछ मुद्दों और मांगें सामने आईं। ये हैं :- ❖ कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें 2008 में रेलवे द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण का पूर्ण मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे लंबित मुद्दों को नए अधिग्रहण से पहले हल किया जाना चाहिए।

क्रम सं0	प्रभाव का प्रकार	प्रस्तावित शमन उपाय
		❖ आसान पारगमन के लिए रेलवे क्रॉसिंग नंबर -49 पर फुट-ओवर-ब्रिज (एफ0ओ0बी0) अथवा अंडरपास की सर्वसम्मत मांग है। ❖ रेलवे क्रॉसिंग नंबर 49 और 50 को जोड़ने वाली सड़क को पक्का रोड बना दिया जाना चाहिए। यह सुझाव दिया जाता है कि पूर्व मध्य रेलवे को लंबित मुद्दों को हल करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए और लोगों द्वारा उठाए गए मांगों पर उचित विचार करना चाहिए।
8.	नौकरी की मांग	अधिग्रहण प्रक्रिया में अपनी जमीन को खोने वाले परिवारों के युवाओं के लिए नौकरियों की सामान्य रूप से मांग है। सार्वजनिक सुनवाई के दौरान, लोगों ने इस मांग को पुनः दोहराया कि प्रत्येक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को रेलवे में नौकरी दी जानी चाहिए। यह सलाह दी जाती है कि RFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और रेल मंत्रालय के नियमों के अनुसार कार्रवाई किया जाना चाहिए।
9.	क्षतिपूर्ति का भुगतान	क्षतिपूर्ति का भुगतान शिविर मोड में अधिग्रहण के क्षेत्र में किया जाए, ताकि लोगों को मुआवजे प्राप्त करने के लिए बाहर जाने की जरूरत न हो। इससे मुआवजे के वितरण में अनियमितताओं का खतरा भी कम होता है।
10.	आजीविका समर्थन	राज्य में लागू होने वाले विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से परियोजना प्रभावित लोगों को एकीकृत करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इसके अलावा, प्रभावित परिवारों के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। इस परियोजना के निष्पादन के दौरान क्षेत्र के मजदूरों को भी शामिल करने का सुझाव दिया जा रहा है।
11.	पुनर्वास और पुनःस्थापन	अध्ययन के दौरान, यह पाया गया कि कुछ जनता उनके आवासीय घरों को खो देंगे। यह सुझाव दिया जाता है कि सरकार RFCTLARR अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आवासीय संरचना और जमीन के लिए उचित मौद्रिक मुआवजा दे। सार्वजनिक सुनवाई के दौरान श्री धीरन चौधरी का मसला सामने आया। वह 40-50 सालों से गैर मजरुआ ज़मीन पर रह रहे हैं और इस भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप विस्थापित हो जाएंगे। सरकार कानून के अनुसार और RFCTLARR अधिनियम, 2013, के प्रावधानों के अनुसार श्री चौधरी के दावे को सत्यापित कर पुनर्वास के लिए उचित निर्णय ले सकता है।

क्रम सं0	प्रभाव का प्रकार	प्रस्तावित शमन उपाय
12.	सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना और शिकायत निवारण की निगरानी	सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन और निगरानी में सहायता करने के लिए कुछ गैर सरकारी संगठनों और बाहरी निगरानी एजेंसियों को शामिल किया जा सकता है। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों को प्राप्त करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए।
13.	अन्य प्रभाव और उपाय	जन-सुनवाई के दौरान रैयतों के विभिन्न व्यक्तिगत मुद्दे सामने आए। ❖ श्री मिश्री ठाकुर और अन्य (खाता स० -138 और खेसरा स० 1052) भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप भूमिहीन और बेघर होने का दावा करते हैं। अधिग्रहण के पश्चात परिवार को आजीविका बहाल करने के लिए मदद चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दावे का सत्यापन करने की आवश्यकता है। यदि दावा सही पाया गया तो वे RFCTLARR अधिनियम, 2013 की धारा 30 (3) के अनुसार अतिरिक्त मुआवजे पर विचार कर सकते हैं। ❖ श्री रामेश्वर सिंह, पुत्र – स्व0 जीत नारायण सिंह, घोसवर, ने बताया कि उनकी दो भूखंड- 1018 और 1019 का विवरण रैयत सूची से गायब है। चूंकि प्लॉट संख्या - 1016 और 1022 का अधिग्रहण होना है, अतः मध्य में स्थित उनके दो भूखंडों का अधिग्रहण अवश्य होगा। यह सुझाव दिया जाता है कि वर्तमान रैयत सूची में दो छूटे हुए भूखंडों को जोड़ने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर के संबंधित अधिकारियों को उपाय करना चाहिए। ❖ खेसरा स० 614 एवं 615 में रैयतों का नाम बदल गया है। सुझाव है कि वर्तमान रैयत सूची में सुधार करने के लिए जिला/ ब्लॉक स्तर के संबंधित अधिकारी उपाय करें। ❖ श्रीमती सुनैना देवी, पत्नी – स्व0 तारक नाथ सिंह ने बताया कि उनके पति की मृत्यु के बाद वह भूखंड-1067 (खाता संख्या -26) और भूखंड-1068 (खाता संख्या -16) की उत्तराधिकारी हैं,परन्तु रैयत सूची में उसका नाम नहीं है। यह सुझाव है कि वर्तमान रैयत सूची में सुनैना देवी का नाम जोड़ने के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर के संबंधित अधिकारियों को उपाय करना चाहिए।

क्रम सं0	प्रभाव का प्रकार	प्रस्तावित शमन उपाय
		❖ श्री बजरंग सिंह ने बताया कि खाता सं -181 (खेसरा संख्या - 1054, 1063 और 1066) की भूमि स्वामित्व स्पष्ट नहीं है और यह मामला अदालत में लंबित है। ❖ यह सुझाव है कि प्रशासक सरकारी कानून और RFCTLARR अधिनियम, 2013, के आलोक में उपयुक्त कार्रवाई करें।

निष्कर्ष

हालांकि, इस प्रस्तावित नए रेलवे लाइन परियोजना से स्थानीय समाज और पर्यावरण के लिए कुछ नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, परन्तु साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक लाभ भी होगा। ध्यान से विचार करने से पता चलता है, इस परियोजना से पैदा होने वाले लाभ कथित नकारात्मक प्रभाव से अधिक है। सुझाए गए सुधारात्मक उपाय करने के बाद, रेलवे लाइन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा सकता है।